न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
28 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	09.05.2022	01.06.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.......आवेदक

बनाम

श्री मुरलीधर सबनानी पुत्र श्री जीवत राम एफ.बी.ओ. मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स पुरानी सब्जी मण्डी बिलाला मार्केट के पास निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 18 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक

......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(v) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उपस्थित।
2—अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

:—<u>निर्णय</u>—: दिनांक 01.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.01.2022 को समय 11:39 ए.एम. पर मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स पुरानी सब्जी मण्डी बिलाला मार्केट के पास निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री मुरलीधर सबनानी पुत्र श्री जीवत राम मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुरलीधर सबनानी ने स्वयं को मैसर्स मुरलीधर एण्ड सन्स पुरानी सब्जी मण्डी बिलाला मार्केट के पास निवाई जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में तेल, घी, मसाले, नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose)** दुकान में प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 10 किलोग्राम रखा हुआ था, जिसे देखने पर मिलावट की शंका हाने पर विक्रेता श्री मुरलीधर सबनानी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री मुरलीधर सबनानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose)** वास्ते नमूना जांच कय किए जा रहे है, ज्यों का त्यों 10 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नियम देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा **धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose)** 2 किलोग्राम को अलग–अलग 500–500 ग्राम को प्लास्टिक के चार साफ व सूखे डिब्बों में बराबर–बराबर भरकर डिब्बे के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3051 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–3051 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/705 दिनांक 23.03.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/592/एक्ट/2022/631 दिनांक 02.03.2022 के अनुसार विक्रेता श्री मुरलीधर सबनानी से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.14(15) के उल्लंघन करने के कारण **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी ने **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का **धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(V) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में स्तर **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose)** नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(V) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मुरलीधर सबनानी पुत्र श्री जीवत राम पर शास्ति रूपये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

10,000 / –(अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 01.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक